न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 14 / 2025
प्रविष्टि दिनांक:– 17.03.2025
निर्णय दिनाक:– 21.07.2025

1–रामधन पुत्र बजरंग जाति बैरवा निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2–दुर्गालाल पुत्र बजरंग जाति बैरवा निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3–भूरी देवी पत्नि रामनारायण उर्फ नाराणा जाति बैरवा निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

1–गोपाल उदावत पुत्र सुरज्ञानी जाती भाण्ड निवासी बनेठी तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राज.
2–रामनारायण उर्फ नाराण पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3–रामकिशन पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4–कपिल पुत्र दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज.
5–काली पत्नि रामधन जाति बैरवा निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक तहसीलदार देवली दिनांक 09.01.2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 02 / 2024 उनवानी गोपाल बनाम दुर्गालाल

उपस्थित:(1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2)श्री हिम्मत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट् सं. 1।
रेस्पोडेण्ट सं. 2 ता 5 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:– 21.7.25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली के यहां रेस्पोडेण्ट स. 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि खसरा नम्बर 2804 / 497 रकबा 0.5250 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 642 रकबा 0.80 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 643 रकबा 0.65 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक पर से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 को बेदखल करने का आदेश दिनांक 09.01.2025 को दिया गया था। उक्त आदेश को विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए आदेश को निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 2 ता 5 को जारी नोटिस तस्पांदगी के अंकन के साथ प्राप्त रेस्पो. उपस्थित नही हुए। संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक अपीलान्टस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 की बहस को सुना गया।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं उभयपक्ष को मूल अपील में सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, देवली का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। भूमि खसरा नम्बर 2804/497 रकबा 0.5250 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 642 रकबा 0.80 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 643 रकबा 0.65 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक पर कभी भी रेस्पो. सं. 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में भूरा पुत्र श्रवण की खातेदारी की भूमि थी भूरा के एकमात्र संतान पुत्री धन्नी थी जो भी अपने ससुराल में अपने पति के साथ निवास करती थी तथा जगदीश दत्तक पुत्र था जिसका भी स्वर्गवास हो चुका था। अपीलांटस जगदीश के परिवार के है इस कारण उनका उक्त भूमि पर वर्षो से मोके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

दिनाक 02.07.2005 को ग्राम डाबरकला पंचायत के समक्ष धन्नी के पति गोपाल, व उसके पुत्रों/पुत्री शिवकरण, कालू, बनवारी व बसन्ती ने एक इकरारनामा/राजीनामा यह लिख कर दिय गया कि आराजीयात खसरा नम्बर 496, 497, 642, 643, 644, 832, 833, 835 की है जिसका नामान्तरकरण शिवकरण, कालू, बनवारी बसन्ती के नाम खुल गया है हमने आधा हिस्सा दुर्गालाल पुत्र लादू को तथा आधा हिस्सा रामकिशन, रामनारायण, रामधन, महावीर पि. बजरंगलाल को अपनी मर्जी से दे दिया है अब हमारा इस आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है उक्त इकरारनामा /राजीनामा पर धन्नी के वारिसान शिवकरण बैरवां वगेरहा के तथा संरपच ग्राम पंचायत डाबरकला व पंचायत समिति सदस्य दुर्गालाल खटीक तथा अन्य ग्रामवसियों के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त इकरारनामा/राजीनामे के आधार पर धन्नी के वारिसान द्वारा उक्त भूमि का कब्जा मोके पर दुर्गालाल व बजरंगा के वारिसान को मोके पर वास्तविक रूप से संभला दिया था।

दिनाक 02.07.2005 के पश्चात से ही शिवकरण, कालू, बनवारी व बसन्ती का उक्त भूमियों से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा गया था परन्तु बाद में उक्त लोगों की नियत में बेईमानी आ गई और राजस्व रिकार्ड के अंकन का फायदा उठाकर शिवकरण, कालू, बनवारी व बसन्ती ने विना कब्जे के ही उक्त भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेण्ट सं. 1 को विक्रय किया है जबकि स्वंय शिवकरण, कालू, बनवारी व बसन्ती का दिनाक 02.07.2005 के पश्चात कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा और नही रेस्पोडेण्ट नं० 1 का इस भूमि पर कब्जा रहा। इस कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार देवली को पेश किये गये प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि उक्त भूमि को अप्रार्थीगण ने दिनाक 15.10.2024 को हांक कर कब्जा कर लिया पूर्णतया गलत है। अपीलांटस का कब्जा तो उक्त भूमि पर भूरा पुत्र श्रवण की मृत्यु पश्चात से ही मोके पर चला आ रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जयपुर जिले का निवासी है और उसने कभी भी मोके पर आकर उक्त भूमि को काश्त नहीं किया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का अपने गांव बनेठी तहसील कोटपूतली से ग्राम

डाबरकलां में आकर काश्त करना भी संभव नहीं है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मौके एवं तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

तहसीलदार देवली द्वारा इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त अपीलांटस का भूरा पुत्र श्रवण के जीवन काल से तथा धन्नी पुत्र भूरा के वारिसान द्वारा इकरारनामा/राजीनामा दिनाक 02.07.2005 को ग्राम पंचायत डाबरकला के समक्ष लिख कर दिये जाने से अपीलांटस व बजरंग लाल के वारिसान का कब्जा चला रहा है। जिसे 20 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और बेदखली की समयावधि केवल 12 वर्ष है। इस प्रकार अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा बेदखली की अवधि समाप्त होने के पश्चात आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 09.01.2025 को निरस्त किया जाये। अभिभाषक अपीलान्टस ने अपने कथन की पुष्टि में मौका पर्चा दिनांक 22.10.2024, राजीनामा दिनांक 02.07.2005 की प्रतियां तथा Borad of Revene,Ajmer Revision No. 8/Swaimadopur of 2004 Decided on 19 Sept. 2006 तथा 2019(1)RRT 281 Borad of Revene,Ajmer Revision No. 3707/Sriganganagar of 2015 Decided on 01-11-2018 के उद्धरण पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट् सं01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के अनुकूल है। रेस्पोडेण्ट् सं0 1 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की उक्त भूमि पर अपीलांटस तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 ने गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण किया था जिस पर तहसीलदार देवली के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार देवली ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है। रेस्पोडेण्ट एक सद्भावी क्रेता है जिसने उक्त भूमि नियमानुसार क्रय की थी। भूमि क्रय करने के पश्चात रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1545 दिनांक 05.06.2020 तस्दीक किया गया था, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ही विवादित भूमि का वर्तमान में विधिक रूप से स्वामी है।

न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्टस ने विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध मे कोई दस्तावेजात/ साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये है साथ ही अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दिनांक 02.07.2005 का इकरारनामा/राजीनामा का कोई विधिक महत्व नहीं हैं एवं प्रमाणिकता से परे है।

तहसीलदार देवली ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व नियमानुसार अपीलांट्स की प्रोपर तामिल करवायी है। सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने पर अपीलान्टस व रेस्पो. स. 2 ता 5 की स्वयं की तामिल हुई है। तहसीलदार देवली द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का डाबरकलां से उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी पटवारी डाबरकलां ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 में अपीलांट्स तथा रेस्पो. सं. 2 ता 5 का कब्जा होना अंकित किया है। इस प्रकार रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी भूमि पर अपीलांट्स तथा रेस्पो. सं. 2 ता 5 का अनाधिकृत अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। इसी आधार पर तहसीलदार देवली ने उक्त विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्टस व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलबध समस्त दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली के यहां रेस्पोडेण्ट स. 1 द्वारा राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि खसरा नम्बर 2804/497 रकबा 0.5250 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 642 [illegible] 0.80 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 643 रकबा 0.65 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक पर से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 को बेदखल करने का आदेश दिनांक 09.01.2025 को दिया गया था।

तहसीलदार देवली ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व नियमानुसार अपीलांट्स की प्रोपर तामिल करवायी है। सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने पर अपीलान्टस व रेस्पो. स. 2 ता 5 की स्वयं की तामिल हुई है। तहसीलदार देवली द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का डाबरकलां से उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी पटवारी डाबरकलां ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 में अपीलांट्स तथा रेस्पो. सं. 2 ता 5 का कब्जा होना अंकित किया है। इस प्रकार रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी भूमि पर अपीलांट्स तथा रेस्पो. सं. 2 ता 5 का अनाधिकृत अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। इसी आधार पर तहसीलदार देवली ने उक्त विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

रेस्पोडेण्ट एक सद्भावी केता है जिसने उक्त भूमि नियमानुसार कय की थी। भूमि कय करने के पश्चात रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1545 दिनांक 05.06.2020 तस्दीक किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ही विवादित भूमि का वर्तमान में विधिक रूप से स्वामी है।

अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
अति. जिला कलेक्टर,
टोंक